Jh Vh0,l0uxh jktdh; egkfo|ky; fjdkxihvks] ftyk fdUukSj] fgekpy izns'k dk lpf;dk ys[kk dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 4@2004 ls 3@2011

Hkkx&,d

1 xr vads{k.k izfrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही के अवलोकनोपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार है। शेष बचे अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवष्यक एवं प्रभावषाली कदम उठाए जाएं :–

¼d½ vads{k.k izfrosnu vof/k 08@94 ls 03@2004

1	पैरा 3	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
2	पैरा 4	समाप्त	(ब्याज की प्राप्ति नियमित रूप में)
3	पैरा 5	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
4	पैरा 6	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
5	पैरा 7	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
6	पैरा 8(क)	समाप्त	(नवीनतम स्थिति वर्तमान रिपोर्ट में)
7	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	

अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्राचार्य, आहरण एंव संवितरण अधिकारी तैनात थे :–

Øe la[;k	izkpk;Z dk uke	rSukrh dh vof/k
1	श्री पी0सी0 शर्मा	01.04.2004 से 10.02.2005
2	डा0 एस0वी0 नेगी	11.02.2005 से 25.06.2006
3	श्री जय भगवान बंसल	26.02.2006 से 31.12.2007
4	श्री प्रेम सिंह नेगी	01.01.2008 से 03.06.2008
5	डा0 एस0बी0 नेगी	04.06.2008 से 31.03.2011

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k %&

श्री टी0एस0 नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपिओ, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेष के संचयिका लेखों अवधि 04/2004 से 03/2011 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री शेरसिंह कायथ, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 28.08.11 को रिकांगपीओ में किया गया। संचयिका लेखों की विस्तृत पड़ताल की गई जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अनुवर्ती पैरों में दिए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 vads{k.k 'kqYd %&

राजकीय महाविद्यालय रिकांगपियों के संचयिका लेखों अवधि 01.04.2004 से 31.03.2011 तक के अंकेक्षण शुल्क की राषि महाविद्यालय के निधि लेखों के साथ हिमाचल प्रदेष सरकार की अधियाचना संख्याः 1–459/92–फिन(एल0ए0), दिनांक 6 जुलाई, 2001 द्वारा ली जानी है। अतः अंकेक्षण शुल्क की राषि को अलग से जमा करने का अनुरोध नहीं किया गया है।

4 foRrh; fLFkfr %&

श्री टी0एस0 नेगी राजकीय महाविद्यालय रिकांगपीओ के संचयिका लेखों की अवधि 01.04.2004 से 31.03.2011 तक की वित्तीय स्थिति इस प्रकार से थी :–

foRrh; o"kZ	ikjfEHkd 'ks"k	o"kZ esa vk;	o"kZ esa C;kt	dqy vk;	o"kZ esa O;;	vfUre 'ks"k
2004–05	27714.45	3900.00	4886.00	36500.45	–	36500.45
2005–06	36500.45	6080.00	1214.35	43794.80	–	43794.80
2006–07	43794.80	5500.00	918.20	50213.00	15334.00	34879.00
2007–08	34879.00	2120.00	1244.00	38243.00	–	38243.00
2008–09	38243.00	5640.00	1318.00	45201.00	450.00	44751.00
2009–10	44751.00	–	1519.00	46270.00	–	46270.00
2010–11	46270.00	–	1619.00	47889.00	–	47889.00

₹47889.00 की राषि डाक घर बचत खाता संख्याः 403998 में दिनांक 31.03.2011 को जमा थी।

5 lkof/kd tek ;kstuk esa jkf'k dk fuos'k u djuk%&

हिमाचल प्रदेष सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन–2सी(ए)एस0एस0–6/84, दिनांक 28.11.1986 के अनुसार संचयिका के कुल जमा राषि का 75% भाग डाक घर में एक या दो वर्ष के लिए सावधि जमा योजना में जमा करवाया जाना चाहिए ताकि ब्याज की अधिक राषि की प्राप्ति की जा सके। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त महाविद्यालय में कोई भी राषि सावधि जमा योजना में निवेष/जमा नहीं की गई थी जो अनियमित है। भविष्य में सरकार के दिषा–निर्देषों के अनुसार सावधिक जमा/अल्प बचत योजनाओं में जमा राषि का निवेष करना सुनिष्चित किया जाए ताकि ब्याज की अधिक राषि को प्राप्त किया जा सके।

6 C;kt%&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संचयिका खाता धारकों को हिमाचल प्रदेष वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन–2(सी)(ए)एस0एस0–6/84, दिनांक 28.11.1986 द्वारा जारी अनुदेषों के अनुसार तिमाही ब्याज देने की अपेक्षा वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमान लगाकर ब्याज दिया जा रहा था जिस के कारण लगभग 95% खाताधारकों को वास्तविक देय ब्याज की अपेक्षा कम ब्याज ही दिया गया जो कि अत्यन्त गम्भीर मामला है। यह प्रकरण उच्चाधिकारियों की सूचना में आवष्यक पग उठाने हेतु लाया जाता है ताकि भविष्य में संचयिका खाताधारकों को नियमानुसार समय पर उचित ब्याज दिया जाना सुनिष्चित किया जा सके फलस्वरूप संचयिका खाताधारकों को ब्याज की कोई हानि न हो।

7 fuf"Ø; [kkrs%&

संचयिका लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि कई खातों में कई वर्षों से कोई लेन–देन नहीं हो रहा था। निदेषक, लघु बचत हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्याः फिन–2(सी)(ए)–4–9/ल0व0/89/2365, दिनांक 27.08.1993 में समाविष्ट निर्देषों के अनुसार महाविद्यालय छोड़ने से दो वर्ष तक यदि छात्रों द्वारा अपने संचयिका खाते में जमा राषि वापिस न ली जाए तो यह राषि महाविद्यालय की भवन निधि में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी। अतः प्राचार्य से अनुरोध है कि वे इस प्रकार के निष्क्रिय खातों में जमा राषि को महाविद्यालय की भवन निधि में हस्तांतरित करवाएं तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

8 fo|kfFkZ;ksa ls fu/kkZfjr va'knku izkIr u djuk%&

षिक्षा निदेषक, हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या षिक्षा (एच)(8)3–1/76–5, दिनांक 25.06.1991 व पत्र संख्या षिक्षा–(एच)(8)(3)(7)–1/76–6, दिनांक 04.07.1994 द्वारा संचयिका हेतु ₹20/–की राषि प्रति छात्र जमा की जानी निर्धारित की गई थी महाविद्यालय द्वारा संचयिका की निर्धारित राषि विद्यार्थियों से माह जुलाई, 2008 तक प्राप्त की गई थी अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह अगस्त, 2008 से अंकेक्षण की अवधि मास

3/11 तक संचयिका के लिए विद्यार्थियों से निर्धारित अंषदान की वसूली नहीं की गई। जोकि सरकार के दिषा–निर्देषों का सीधा उल्लंधन है और आपत्तिजनक हैं। विद्यार्थियों से संचयिका हेतु अंषदान बन्द करने बारे सरकार का आदेष अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। संचयिका बन्द करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और विद्यार्थियों से संचयिका हेतु अंषदान प्राप्त करना सुनिष्चित किया जाए।

9 fofo/k %&

¼1½ हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेषों के अनुसार संचयिका योजना स्कूलों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में बचत की आदत डालने के लिए आरम्भ की गई थी तथा सभी विद्यार्थियों को इस योजना के अर्न्तगत राषि संचित करने के लिए प्रेरित किया जाना था विद्यार्थियों से प्रत्येक मास अभिदान लिया जाना आपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों से दाखिले के समय ₹20/–लिए जाते हैं तथा शेष 11 मासों में विद्यार्थियों से कोई अभिदान प्राप्त नहीं किया जाता जो कि अनियमित है। अतः महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक मास संचयिका हेतु अभिदान देने के लिए प्रेरित करना सुनिष्चित करें तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

¼2½ अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संचयिका खाताधारकों की पास बुकों व व्यक्तिगत खाता बही में कोई प्रविष्टियां नहीं की गई थी तथा न ही हिमाचल प्रदेष सरकार के लघु बचत विभाग द्वारा संचयिका लेखों के रख–रखाव हेतु निर्धारित पास बुकों, खाता बही, निकासी फार्मों इत्यादि का उपयोग किया गया था। अतः परामर्ष दिया जाता है कि संचयिका लेखों का रख–रखाव निर्धारित प्रपत्रों पर किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

¼3½ संचयिका लेखा की बैंक समाधान विवरणिका प्रत्येक मास के अन्त में नहीं बनाई जा रही थी। बैंक समाधान विवरणिका मास के अन्त में बनाई जानी सुनिष्चित की जाए ताकि रोकड़ व बैंक खातों का मिलान किया जा सके।

10 y?kq vkifr foojf.kdk %& यह अलग से जारी नहीं की गई है। लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

11 fu"d"kZ %& लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)संचयिका(xi)(9)14 / 05   दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

i;thdr 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रिकांगपीओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस संचयिका अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें ।

2. निदेशक, लघु बचत हिमाचल प्रदेष षिमला–171002 को उनके पत्र संख्या फिन(2)सी(ए)एस0 एस0–6 / 84, दिनांक 09.09.86 व पत्र संख्याः 2(ए)एस0एस0–6 / 84, दिनांक 21.11.86 के सन्दर्भ में।

3. निदेषक, (उच्च शिक्षा) षिक्षा विभाग, हि0प्र0 षिमला–171001.

4. जिलाधीष किन्नौर, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेष।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

¼vuqi dekj ?kk:½